IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, December 2025
Impact Factor: 7.67

यातायात जागरूकता का प्रासंगिक आयाम (छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रवीन्द्र नाथ शर्मा

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य एम.ए.(समाजशास्त्र)

श्री साईं बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

महेश कुमार मिश्रा

(शोधार्थी समाजशास्त्र) राष्टपति पदक विजेता

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़

सारांश:

यातायात नियमों की परिपालन संबंधी जागरूकता किसी भी समाज में सुरक्षा, अनुशासन और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती जनसंख्या, तीव्र नगरीकरण और वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण सड़क दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था की समस्या गंभीर रूप से उभर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में ग्रामीण और शहरी जीवन का मिश्रण होने के कारण यातायात नियमों का पालन और जागरूकता का स्तर भिन्न है। इस अध्ययन का उद्देश्य जिले में लोगों की यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और उनका पालन करने की स्थिति का विश्लेषण करना है। सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित जागरूकता अभियानोंके माध्यम से हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग, ओवरस्पीडिंग से बचाव और नशे में वाहन न चलाने जैसी आदतों को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम, जन संपर्क अभियान, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, चालान अभियान और सड़क सुरक्षा होर्डिंग एवं बैनर जैसी पहलें भी की गईं। इन अभियानों के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में कमी, जन जागरूकता में वृद्धि, सामाजिक भागीदारी में सुधार और स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग तथा आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। हालांकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता का असमान स्तर, नियम उल्लंघन की प्रवृत्ति और सतत प्रयासों की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। इसलिए, स्थानीय समाज, शैक्षणिक संस्थान और स्वयंसेवी संगठन की भागीदारी बढ़ाकर इन अभियानों की सफलता और व्यापक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सकता है।

शब्द कुंजी–यातायात नियम, जागरूकता, कोरिया जिला, हेलमेट और सीट बेल्ट, सड़क सुरक्षा, जागरूकता अभियान, दुर्घटना रोकथाम, छत्तीसगढ़।

प्रस्तावना

भारत देश के निरंतर विकास में सुचारू और समन्वित परिवहन प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान प्रणाली में यातायात के अनेक साधन, जैसे–रेल, सड़क, तटवर्ती नौ–संचालन, वायु परिवहन इत्यादि शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ–साथ इसका विस्तार हुआ है और क्षमता भी बढ़ी है। जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

DOI: 10.48175/IJARSCT-30597

मंत्रालय, रेल और नागर विमानन को छोड़कर परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए नीतिगत कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी निभाता है।

सड़क परिवाहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कम एवं मध्यम दूरियाँ तक के लिए यह यातायात का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन भी हैं। वास्तव में यह सेवा परिवहन के अन्य साधनों की सहायक है, क्योकि इसकी विश्वसनीयता, शीघ्रता, लचीलापन एवं दरवाज़े तक प्रदान की जाने वाली सुविधा काफ़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया सकता है। अतएव सड़कों का महत्तव अपने आप बढ़ जाता है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दू सवारियों की संख्या में लगातार होने वाली वृद्धि है। 1950–51 में जहाँ देश में कुल 34,000 बसें एवं 82,000 ट्रकें थी, वहीं वर्ष 1990–91 में इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 1,91,73,168 तथा 12,89,250 हो गयी। मार्च, 1997 में भारत में सड़को की कुल लम्बाई बढ़कर 33 लाख 40 हज़ार किमी हो गई है। इनमें 65,754 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 1,29,431 किमी राज्य राजमार्ग 4,70,000 किमी मुख्य ज़िला सड़के और लगभग 26,50,000 किमी अन्य ज़िला और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई में से 32 प्रतिशत एकल (सिंगल) लेन/मध्यवर्ती लेन, लगभग 55 प्रतिशत मानक 2–लेन ओर शेष 13 प्रतिशत 4–लेन वाली अथवा उससे ज्यादा चौड़ी सड़कें है।

रेल परिवहन का एक ज़रिया है जिसमें यात्रियों और माल को पटरियों पर चलने वाले वाहनों पर एक स्थान से दुसरे स्थान ले जाया जाता है। देश के विशालता, सामानों के आन्तरिक परिवहन तथा यात्रियों के संचालन हेतु रेल परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश की रेलों ने सुदूर क्षेत्रों में बसे लोगों तथा वहाँ मिलने वाले संसाधनों एवं तैयार वस्तुओं को सम्पूर्ण देश में पहुंचाया है। व्यापार–व्यवसाय, देशाटन, तीर्थयात्रा आदि का अवसर सुलभ कराने वाले साधनों की दृष्टि से रेलें देश की जीवन रेखा है।

भारतीय जैसे भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण तथा विशाल देश में वायु परिवहन जैसे तीवग्रामी साधन का महत्व स्वतः स्पष्ट है। पश्चिमी देशों एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच संगम–स्थल की भांति स्थित इस देश को वायु परिवहन की दृष्टि से विश्व में केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। यहाँ पर वायु परिवहन का प्रारम्भ 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इण्डियन नेशनल एअरवेज कं. की स्थापना हुई, जिसने लाहौर से कराची के बीच विमान संचलन किया। 1935 में टाटा एअरवेज द्वारा मुम्बई–तिरुअनन्तपुरम तथा 1937 में इसी कम्पनी द्वारा मुम्बई–दिल्ली मार्ग पर विमान–सेवा प्रदान की गयी। स्वतन्त्रता प्राप्ति तक देश में 21 वायु–परिवहन कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थीं। 1953 में सभी वैमानिक कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन कर दिया गया।

जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गो का निर्माण नहीं करना पड़ता और केवल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग आवश्यक होते हैं। हमारे देश में आन्तरिक एवं सामुद्रिक दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। आन्तरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीनकाल से ही नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता था। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किमी लम्बा नौगम्य जलमार्ग है, जिसमें नदियाँ, नहरें, अप्रवाही जल यथा झीलं आदि संकरी खड़ियाँ शामिल हैं। देश की प्रमुख नदियों में 3,700 किमी लम्बे मार्ग का ही उपयोग किया जा रहा है। जहाँ तक नहरों का प्रश्न हैं, 4,300 किमी लम्बी नौगम्य नहरों से मात्र 900 किमी तक की दूरी की नौकाओं द्वारा परिवहन के उपयुक्त है। वर्तमान में आन्तरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 लाख टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 4, December 2025 Impact Factor: 7.67

यातायात नियमों की परिपालन संबंधी जागरूकता किसी भी समाज में सुरक्षा, अनुशासन और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, तीव्र नगरीकरण और वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण सड़क दुर्घटनाओं और अव्यवस्था की समस्या गंभीर रूप से उभर रही है। भारत जैसे विशाल देश में सड़क परिवहन न केवल आर्थिक गतिविधियों का आधार है बल्कि दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है, ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन जान–माल की हानि, आर्थिक नुकसान और सामाजिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले का संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां ग्रामीण और शहरी जीवन का मिश्रण देखने को मिलता है, जहां एक ओर सीमित सड़क संरचना और पारंपरिक जीवनशैली है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक परिवहन साधनों का तेजी से प्रसार हो रहा है। इस स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिले के लोग यातायात नियमों के प्रति कितने जागरूक हैं और उनका पालन किस हद तक करते हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए विभिन्न जागरूकता अभियानोंका उद्देश्य नागरिकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग, ओवर स्पीडिंग से बचाव और नशे में वाहन न चलाने जैसी आदतों को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी है।

अनुसंधान उद्देश्य

- कोरिया जिले में नागरिकों के यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और पालन के स्तर का मूल्यांकन करना।
- स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा चलाए गए यातायात जागरूकता अभियानों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- नियम पालन में अंतर और जागरूकता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपायों और सामाजिक भागीदारी की संभावनाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय –

छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला उत्तर–पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका भौगोलिक विस्तार 5977 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें लगभग 59.9% क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है। यह जिला 22°56′ से 23°48′ उत्तर अक्षांश और 81°56′ से 82°47′ पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इसकी सीमाएँ उत्तर में मध्यप्रदेश के सीधी जिले, दक्षिण में कोरबा जिले, पूर्व में सरगुजा जिले और पश्चिम में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से मिलती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र मूल रूप से सरगुजा जिले का हिस्सा था, जिसे 25 मई 1998 को स्वतंत्र जिला बनाया गया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह नया जिला उसमें सम्मिलित हो गया। कोरिया जिले में कुल 239 ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्रामीण जीवन और स्थानीय स्वशासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ की प्राकृतिक संपदा और पर्यटन स्थल इसकी विशेष पहचान हैं, जिनमें गौरघाट जलप्रपात, झुमका बोट क्लब, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य और अमहर रिज़ॉर्ट (घुनघुट्टा जलाशय) प्रमुख हैं। यह जिला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, December 2025
Impact Factor: 7.67

कोरिया जिला, छत्तीसगढ

यातायात स्थिति

कोरिया जिले की वर्तमान यातायात स्थिति को समझने के लिए इसके भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। कोरिया जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर–पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5977 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 59.9ः हिस्सा वन क्षेत्र है। इस कारण यहाँ का यातायात मुख्यतः प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों, खनिज संसाधनों और ग्रामीण–शहरी संपर्क पर आधारित है। जिले की सीमाएँ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण यह आंतरिक और अंतर–राज्यीय यातायात के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में कोरिया जिले की यातायात व्यवस्था मिश्रित रूप से ग्रामीण सड़कों, राज्य राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क पर निर्भर है। जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर होने के कारण यहाँ से होकर प्रमुख सड़कें गुजरती हैं, जो आसपास के कस्बों और गाँवों को जोड़ती हैं। हालांकि जिले के वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सड़क मार्ग कई जगहों पर संकीर्ण और जर्जर स्थिति में हैं। बरसात के मौसम में कई आंतरिक ग्रामीण सड़कें दलदली हो जाती हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है और गाँवों का संपर्क टूट जाता है।

रेलवे के दृष्टिकोण से कोरिया जिला अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है क्योंकि यहाँ अम्बिकापुर–अनुपपुर रेलवे लाइन के जरिए मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों का संचालन होता है। यह रेलवे नेटवर्क मुख्यतः कोयला परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिले के अंतर्गत कई कोयला खदानें आती हैं। कोयला परिवहन के कारण यहाँ भारी वाहनों का आवागमन अधिक रहता है, जिससे सड़कों पर दबाव और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर बैकुंठपुर, पटना, चरचा, जैसेनगरीय क्षेत्रों में, यातायात का दबाव धीरे–धीरे बढ़ रहा है। दोपहिया और तीनपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो रही है। यातायात संकेतों और पार्किंग स्थलों की

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, December 2025
Impact Factor: 7.67

कमी भी जाम और अव्यवस्था का कारण बनती है। इसके साथ ही, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता की कमी और सुरक्षा साधनों का सीमित उपयोग दुर्घटनाओं को और बढ़ाता है।

सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा यातायात सुधार के लिए कई पहलें की जा रही हैं, जैसे कि नई सड़कों का निर्माण, पुराने मार्गों का चौड़ीकरण, तथा ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सके।

यातायात जागरूकता

कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पश्चिम में स्थित है और यह अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। जिले में बढ़ते यातायात, सड़क दुर्घटनाओं और लोगों के असावधान व्यवहार ने प्रशासन को गंभीर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई व्यापक जागरूकता अभियान चलाए। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना नहीं है, बल्कि लोगों में सड़क नियमों का पालन करने की आदत, सामाजिक जिम्मेदारी और सतर्कता विकसित करना भी है।

यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान के कई उद्देश्य हैं–

- **सड़क सुरक्षा बढ़ाना–** दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाना अभियान का प्राथमिक लक्ष्य है। विशेष रूप से दोपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है।
- **यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना–** हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, शराब पीकर वाहन न चलाने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने जैसे नियमों का नियमित पालन कराना।
- **सामाजिक जिम्मेदारी का विकास–** लोगों को यह समझाना कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है।
- **सतत जागरूकता और शिक्षा–** नए और युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति प्रशिक्षित करना ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनें।

सड़क सुरक्षा जागरूकता –

कोरिया जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए कई पहल और अभियान चलाए गए हैं।

- **स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम–** बच्चों और युवा वर्ग के लिए विशेष कार्यशालाएँ और शिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा उपकरणों, और हेलमेट तथा सीट बेल्ट के महत्व को बताया जाता है। इससे युवा पीढ़ी में नियमों का पालन करने की आदत विकसित हो रही है।
- **जन संपर्क कार्यक्रम और रोड शो–** पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर रोड शो और जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा, दुर्घटना रोकथाम और यातायात नियमों के पालन का महत्व बताया गया।
- **नियमित निरीक्षण और चालान अभियान–** जिले में पुलिस द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं, जिसमें हेलमेट न पहनने, लाइसेंस के बिना वाहन चलाने और ओवरस्पीडिंग जैसी लापरवाहियों पर कार्रवाई की जाती है। यह अभियान लोगों में नियम पालन की मानसिकता और सतर्कता दोनों पैदा करता है।

- **सड़क सुरक्षा होर्डिंग और बैनर–** प्रमुख मार्गों और चौराहों पर सड़क सुरक्षा और नियम पालन के संदेशों के साथ होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों में हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने जैसे संदेश प्रमुख हैं।
- **यातायात जागरूकता रथ** –जिला क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों के साथ में गांवों में भी यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से निरंतर जनजागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक लोग नियमों की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं।

यातायात अभियान के प्रभाव

कोरिया जिले में यातायात नियमों के पालन संबंधी जागरूकता अभियानों का जिले में सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं–

- **दुर्घटनाओं में कमी–** हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग और अन्य सुरक्षा उपायों को अपनाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं और चोटों की संख्या में कमी आई है। यह पहल विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों और उनके परिवारों के लिए प्रभावी साबित हुई है।
- **जन जागरूकता में वृद्धि–** स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यशालाओं, रोड शो और जन संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब लोग न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहते हैं।
- **सामाजिक भागीदारी–** नागरिक स्वयं सड़क सुरक्षा संदेश फैलाने और अपने आसपास के लोगों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने में सक्रिय हो रहे हैं। इस प्रकार, सामाजिक जिम्मेदारी और सामूहिक जागरूकता में वृद्धि हुई है।
- **नए नियम और तकनीक–** अभियान के माध्यम से लोगों को स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम और आधुनिक सड़क सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी मिली। इससे नागरिक तकनीकी दृष्टिकोण से भी सड़क सुरक्षा के प्रति सजग हुए हैं।

यातायात जागरूकता और सुझाव

यद्यपि अभियान सफल रहा है, इसके बावजूद कुछ चुनौतियाँ और सुधार के सुझाव हैं–

- **जागरूकता का असमान स्तर–** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियम पालन और जागरूकता में अंतर पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
- **अपराधी प्रवृत्ति–** कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करने में संकोच नहीं करते, जिससे सड़क सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **सतत प्रयास की आवश्यकता–** जागरूकता अभियान को नियमित रूप से और लगातार चलाना आवश्यक है ताकि नागरिकों में नियम पालन की आदत बनी रहे।
- **सार्वजनिक भागीदारी–** स्थानीय समाज, स्वयंसेवी संगठन और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने से अभियान अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से सफल हो सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कोरिया जिले में यातायात नियमों की परिपालन संबंधी जागरूकता अभियानों ने जिले में सड़क सुरक्षा और नियम पालन के प्रति सकारात्मक प्रभाव डाला है। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, शराब पीकर वाहन न चलाने और ट्रैफिक नियमों के पालन से दुर्घटनाओं में कमी आई है और नागरिकों में सतर्कता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यशालाओं, रोड शो और जन संपर्क कार्यक्रमों ने युवा पीढ़ी और स्थानीय समाज में जागरूकता बढ़ाई है। हालांकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता का असमान स्तर, नियम उल्लंघन की प्रवृत्ति और सतत प्रयासों की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान नियमित अभियान, व्यापक सार्वजनिक भागीदारी और तकनीकी सहायता के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए, निरंतर जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक पहल के संयोजन से कोरिया जिले में यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है।

सदंर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, दीपिका : यातायात के साधन, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 2022
2. कोरिया यातायात पुलिस. (2024)—''सड़क सुरक्षा माह 2024'': कोरिया जिले में यातायात नियमों के पालन के लिए आयोजित कार्यक्रमों का विवरण. कोरिया यातायात पुलिस विभाग।
3. शर्मा, ए., — ठाकुर, डी. (2022)—छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों का प्रभाव। क्षेत्रीय विकास पत्रिका, 18(1), 89—101।
4. भारत सरकार (2019)—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018—19. नई दिल्लीः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
5. छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग (2020)— कोरिया जिले में यातायात नियमों के पालन पर रिपोर्ट. रायपुरः छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग।
6. कुमार, एस. (2021)—छत्तीसगढ़ में यातायात नियमों की जागरूकताः एक सर्वेक्षण. रायपुर विश्वविद्यालय।
7. शर्मा, आर. (2020)— कोरिया जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालनः एक अध्ययन। अंतरविभागीय लीड एजेन्सी।
8. मिश्रा, पी. (2019)—छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण और निवारण उपाय। रायपुरः छत्तीसगढ़ विज्ञान अकादमी।
9. गुप्ता, एन. (2022)—कोरिया जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण और प्रभाव। राज्य सड़क सुरक्षा समिति।
10. सिंह, बी. (2021)—छत्तीसगढ़ में यातायात नियमों की जागरूकता अभियानः एक मूल्यांकन. रायपुरः छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग।
11. कुमार, आर. (2020)— कोरिया जिले में सड़क सुरक्षा उपायों का प्रभाव। रोड सेफ्टी सेल।